भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1814

दिनांक 10 फरवरी, 2026

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान एजेंडा

1814. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसंधान एजेंडे, शासन और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव की समीक्षा, पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का प्रस्ताव है;
(ख) क्या आईसीएआर ने क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं, फसल खराब होने, जलवायु जोखिमों और किसानों की अनसुलझी समस्याओं पर राज्य सरकारों से औपचारिक रूप से राज्य-वार फीडबैक प्राप्त किया है;
(ग) प्रत्येक राज्य की कृषि जलवायु, मृदा और भू-भौतिकीय स्थितियों के अनुरूप विकेंद्रीकृत, स्थान-विशिष्ट अनुसंधान करने के लिए आईसीएआर द्वारा क्या रोडमैप अपनाया गया है;
(घ) क्या सरकार का आईसीएआर के भीतर पारदर्शिता, मापने योग्य परिणाम और किसान-हितैषी अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक जवाबदेही ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव है; और
(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार समय-समय पर प्रतिष्ठित कृषि टेक्नोक्रैट्स तथा अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए उच्चस्तरीय समितियों का गठन करती है, ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसंधान कार्यक्रमों एवं पहलों की समीक्षा की जा सके तथा आईसीएआर के अनुसंधान निष्पादन को बढ़ाने के उपाय सुझाए जा सकें। इनमें प्रमुख हैं–डॉ. जी.वी.के. राव समिति (1988), डॉ. जोहल

समिति (1995), माशेलकर समिति (2005) तथा डॉ. टी. रामासामी समिति (2017), जिन्होंने अंतर-संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ करने, अनुसंधान से संबंधित विषयों में कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने, अनुसंधान आधार को सशक्त बनाने, आईसीएआर-उद्योग इंटरफेस को मजबूत करने तथा किसानों तक पहुंच को बढ़ाने के सुझाव दिए, ताकि संगठन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। ऐसी अंतिम समिति का गठन वर्ष 2017 में डॉ. दीपक पेंटल की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित विभिन्न आईसीएआर योजनाओं की परिणाम-आधारित समीक्षा करना था।

(ख) : आईसीएआर राज्यों से संबंधित विभिन्न अनुसंधानयोग्य मुद्दों का आकलन क्षेत्रीय समिति बैठकों के माध्यम से करता है, जिनमें संबंधित क्षेत्र के राज्य कृषि विभागों द्वारा भाग लिया जाता है। 29 मई से 12 जून 2025 तक देशभर में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) के दौरान क्षेत्र-स्तर की समस्याओं/मुद्दों की पहचान सहभागी किसान-वैज्ञानिक अंतःक्रियाओं, केंद्रित समूह चर्चाओं, ऑन-फील्ड अवलोकनों तथा विस्तार कार्मिकों से प्राप्त सुझावों के माध्यम से की गई। आईसीएआर ने व्यापक अनुसंधानयोग्य मुद्दों के समाधान हेतु "वन टीम-वन टास्क" कार्यक्रम की पहचान की है। दलहन, कपास, सोयाबीन तथा गन्ना जैसी फसलों को कवर करते हुए हितधारकों के साथ फसल-विशिष्ट परामर्श भी आयोजित किए गए हैं। चूंकि कृषि राज्य का विषय है, अतः आईसीएआर अपने संस्थानों, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (अटारी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के माध्यम से स्थान-विशिष्ट एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रदर्शन में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करता है। देशभर में फैले 731 कृषि विज्ञान केंद्र, जिलों या संबंधित क्षेत्रों के किसानों एवं अन्य हितधारकों के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, प्रसार तथा परिष्करण हेतु जिला-स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ग) : भाकृअनुप, क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की अनुमति प्रदान करते हुए विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी जोन, मृदा प्रकारों, जलवायु प्रकार और फसल उपयुक्तता में प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता से संबंधित स्थानीय जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट अनुसंधान कार्य करता है। भाकृअनुप, स्थानीय अनुसंधान योग्य विषयों का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के माध्यम से राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) के साथ सहयोग करता है। भाकृअनुप, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों, कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं और स्थानीय जलवायु दबाव के लिए उपयुक्त टिकाऊ कृषि तकनीकों के विकास के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा देता है। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, ऑन फार्म ट्रायल्स और स्थान विशिष्ट टेक्नोलॉजिकल सहयोग (बैक स्टॉपिंग) प्रदान करते हैं।

(घ) एवं (ड.) : आईसीएआर जो लगभग सौ वर्ष पुराना संस्थान है, ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार संबंधी विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में अपने आप को विकसित किया है। स्वतंत्रता से ही आईसीएआर ने वैज्ञानिकी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कृषि वस्तुओं के निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिषद ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक ऐसी साइंटिफिक ऑडिट प्रोटोकॉल कार्यप्रणाली स्थापित की है जिसमें सभी भाकृअनुप संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों/गतिविधियों का मॉनीटरन प्रतिवर्ष अनुसंधान परामर्शी परिषद (आरएसी) द्वारा किया जाता है और प्रत्येक पांच वर्ष में पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यूआरटी) द्वारा इसका व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ये समितियां संस्थागत प्रगति का मूल्यांकन करके भावी अनुसंधान दिशानिर्देशों पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसके अलावा संस्थान अनुसंधान समिति (आईआरसी) आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं का नियोजन, कार्यनिष्पादन और आवधिक समीक्षा का सिंहावलोकन करती है। ये सभी मूल्यांकन वैज्ञानिक आउटपुट, संस्थागत नियंत्रण और वित्तीय दक्षता के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसके अलावा, समय समय पर सरकार द्वारा भाकृअनुप की योजनाओं/कार्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। ताकि इसके अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके और किसानों की आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान कार्यक्षमता, प्रभावकारिता और अनुक्रियाशीलता के लिए उपाय सुझाया जा सके। हाल ही में ऐसा मूल्यांकन वर्ष 2017-2020 की अवधि के दौरान कार्यान्वित भाकृअनुप की योजनाओं को शामिल करते हुए 2020-21 के दौरान किया गया था।

****